

(स्थापनाराजपत्रित अनुभाग)
प0स0-स्था-1-विभागीय व्यवसायिक प्रशिक्षण/2018-19/452//वाणिज्य कर,
लखनऊ:: दिनांक:: / ८ जनवरी, 2019
-::आदेश::-

वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान-4, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में दिनांक-28.01.2019 से दिनांक 15.02.2019 तक तथा दिनांक-18.02.2019 से दिनांक-09.03.2019 तक दो बैचों में नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को आधारभूत/व्यवसायिक प्रशिक्षण में प्रतिभाग लेने हेतु संलग्न सूची के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण में अधिकारी की उपस्थिति प्रशिक्षण संस्थान में आने के उपरान्त ही मान्य होगी। उक्त नामित अधिकारी अनिवार्य रूप से अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, विभूति खण्ड प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ, के कार्यालय में दिनांक-28.01.2019 (प्रथम बैच) एवं दिनांक 18.02.2019 को (द्वितीय बैच) उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी। नामित अधिकारियों की अनुपस्थिति की दशा में कमिश्नर महोदया को अवगत कराया जायेगा।

समस्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अपने वर्तमान तैनाती/सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियन्त्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

उक्त आदेश कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

09/01/19
(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

प्रशिक्षु अधिकारी से अपेक्षित कार्यवाही से सम्बन्धित कुछ दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जो निम्नानुसार हैं :-


- कार्यभार ग्रहण करने की औपचारिकताएं (मेस का दिनांक-28.01.2019 से दिनांक 15.02.2019 तक प्रथम बैच तथा दिनांक-18.02.2019 से दिनांक-09.03.2019 तक द्वितीय बैच का व्यय जमा करने सहित) प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक पूर्ण कर लेनी होगी। इसके उपरांत किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रशिक्षण अवधि में हॉस्टल में आवंटित कक्ष को अपनी इच्छा से बदलने की किसी प्रशिक्षु अधिकारियों को अनुमति नहीं होगी।
- प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कमरे में अतिथियों (परिवार के सदस्यों, मित्रों, पति/पत्नी या कोई अन्य) को बुलाने एवं ठहराने की अनुमति नहीं है। अतः प्रशिक्षण संस्थान में योगदान देने के समय कृपया अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को न लायें।
- संस्थान में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हमेशा औपचारिक /शालीन पहनावे में रहना होगा।
- प्रशिक्षु अधिकारियों के खान-पान की व्यवस्था संस्थान की मेस में रहेगी। मेस में भोजन का व्यय प्रशिक्षु अधिकारियों को वहन करना होगा। हास्टल के कक्षों में खाना बनाना/मंगाना निषिद्ध है। मेस में अतिथियों को भोजन हेतु लाना वर्जित होगा।
- प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग निषिद्ध है। प्रशिक्षण कक्षाओं के दौरान जिन प्रशिक्षुओं के पास मोबाइल फोन पाया जायेगा उसे जब्त कर लिया जायेगा तथा ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों पर संस्थान द्वारा उचित जुर्माना भी आरोपित किया जायेगा।

- प्रशिक्षण संस्थान में जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को मद्यपान, सिगरेट या तम्बाकू आदि का सेवन करते हुए पाया जायेगा या जिनके पास ऐसी निषिद्ध सामग्री पायी जायेगी उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा । इसके साथ ही सम्बन्धित नियम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- आधारभूत / व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
- प्रशिक्षु अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने साथ प्रशिक्षण व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि लेकर आयें तथा शेष अवधि हेतु भी अपने खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था रखें ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शत. प्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर विचार किया जायेगा ।
- प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में मुख्यालय के आदेश सं० 4905 दि० 15.03.2018 के प्रस्तर ग के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-3, 30प्र०शासन, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) ,वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश / अनुभाग अधिकारी (प्रभारी) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में तैनात उक्त सूची में अंकित अधिकारियों को दि० 28-01-2018 एवं दिनांक18-02-2018 से प्रारंम्भ हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपने स्तर से निर्देश जारी करने तथा पूर्व में प्रोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी जिनके द्वारा अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है उन्हें भी प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से नामित करने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें ।
6. संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
7. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/ EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।


 29/01/19
 ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
 मुख्यालय, लखनऊ ।

दिनांक 28-01-2019 से दिनांक 15-02-2019 तक प्रथम बैच

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (सुश्री/सर्वश्री)	सबद्धीकरण जोन
1.	एस०के० स्वर्णकार	इलाहाबाद
2.	आर०जी धुरिया	कानपुर
3.	मो०शब्बीर	कानपुर
4.	भानु शंकर दीक्षित	लखनऊ
5.	शरद कुमार गुप्ता	बिजनौर
6.	दिनेश कुमार	मुजफ्फरनगर
7.	रामगोपाल	भदोही
8.	शीतला प्रसाद	लखनऊ
9.	अश्विनी कुमार	गोरखपुर
10.	छोटे लाल	लखनऊ
11.	राम स्वरूप	लखनऊ
12.	भावेश तिवारी	आगरा
13.	उषा शर्मा	मेरठ
14.	विजय बहादुर वर्मा	मुख्यालय
15.	बी०के०पी० गौतम	आजमगढ़
16.	नफीस अहमत बेग	कानपुर
17.	विजय शंकर प्रसाद	वाराणसी
18.	नीरज श्रीवास्तव	आगरा
19.	रामचन्द्र चौरसिया	लखनऊ
20.	रोशनलाल	गाजियाबाद
21.	निशा शर्मा	मेरठ
22.	चन्द्र प्रकाश पवार	नोएडा
23.	राजेश जोशी	मेरठ
24.	राकेश कुमार श्रीवास्तव	लखनऊ
25.	पी०के० विश्णोई	गाजियाबाद
26.	राजेश कुमार हेला	इलाहाबाद
27.	राजू अग्रवाल	इलाहाबाद
28.	राम नरेश पाल	इलाहाबाद
29.	प्रभात कुमार	वाराणसी
30.	आदित्य कुमार सिंह	इलाहाबाद
31.	राधे श्याम सरोज	मुख्यालय
32.	पंकज कुमार सिन्हा	वाराणसी
33.	चन्द्र शेखर द्विवेदी	झांसी
34.	भरत लाल	इलाहाबाद
35.	ज्ञान रतन	वाराणसी
36.	विजय कुमार पाण्डेय	वाराणसी
37.	राकेश कुमार	इलाहाबाद
38.	गजपाल सिंह रावत	मुरादाबाद
39.	सीमा गोयल	मुरादाबाद

दिनांक 18-02-2019 से दिनांक 09-03-2019 तक द्वितीय बैच

क्र० सं०	अधिकारी का नाम (सुश्री / सर्वश्री)	सबद्धीकरण जोन
1.	जीत लाल यादव	इलाहाबाद
2.	दिनेश त्रीपाठी	वाराणसी
3.	ज्ञान कुमार जायसवाल	इलाहाबाद
4.	परशुराम यादव	वाराणसी
5.	राम विकल राम	मिर्जापुर
6.	राजेश्वर मिश्रा	वाराणसी
7.	इम्तियाज	वाराणसी
8.	अवधेश कुमार श्रीवास्तव	वाराणसी
9.	मोदीलाल	वाराणसी
10.	मो० रोनक अल्वी	फतेहपुर
11.	आनन्द कुमार	वाराणसी
12.	अच्छेलाल	आजमगढ
13.	दिनेश कुमार पाण्डेय	इलाहाबाद
14.	मूलचन्द्र शर्मा	इलाहाबाद
15.	चन्दन कुमार	मीरजापुर
16.	धर्मेन्द्र कुमार	वाराणसी
17.	दिलीप कुमार पाण्डेय	वाराणसी
18.	भागवत सिंह	मेरठ
19.	इन्द्र पाल	मेरठ
20.	पूनम त्यागी	मेरठ
21.	भंवर सिंह	आगरा
22.	अजय बहादुर कायस्थ	आगरा
23.	वसीम अख्तर सिद्दकी	जौनपुर
24.	संजीव उपाध्याय	मैनपुरी
25.	कृष्ण मोहन शर्मा	आगरा
26.	सुधा मिश्रा	कानपुर
27.	हरि शंकर	बरेली
28.	मसूद अख्तर खान	लखनऊ
29.	विजय कुमार सक्सेना	बरेली
30.	अल्का गौड	मुख्यालय
31.	इन्द्र जीत भोला	बरेली
32.	प्रदीप कुमार शर्मा	मुरादाबाद
33.	आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव	सीतापुर
34.	श्रीमती नीलम त्रिवेदी	नोएडा
35.	चन्द कुमार तिवारी(दिव्यांग)	फतेहपुर
36.	ललित कुमार(दिव्यांग)	बुलन्दशहर
37.	सुनीता देवी (दिव्यांग)	सीतापुर
38.	बैजनाथ	मुख्यालय
39.	चन्द्र केतु	मुख्यालय
40.	शिव करन	मुख्यालय